①

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय(मध्य)
Ministry of Environment, Forests & Climate Change
Regional Office (Central Region)

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ 226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector 'H' Aliganj, Lucknow-226024 Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 8बी/यू.पी./06/17/2015/एफ.सी. /389

दिनॉक: 24-7-15

सेवा में,

नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक,
वन विभाग, अरण्य भवन, 17 राणा प्रताप मार्ग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय : कानपुर में लोक निर्माण विभाग द्वारा आई0आई0टी0 कानपुर से पालीटेक्निक कानपुर तक (एन0एच0–91) किमी0 414 से 419 तक एन0एच0डी0पी0–IV के अन्तर्गत 4 लेन चौड़ीकरण हेतु 4.6 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 246 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ : मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश का पत्रांक– 82/ऑनलाईन–कानपुर–यू0पी0–016/2015, दिनांक– 08.07.2015

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश की पत्र संख्या–2162/ऑनलाईन कानपुर यू0पी0 016/2015, दिनांक 02.06.2015 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मॉगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक– 25.06.2015 द्वारा अतिरिक्त सूचना चाही गयी थी जिसकी अनुपालना मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रेषित की गयी है। प्रस्तुत अनुपालना पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार कानपुर में लोक निर्माण विभाग द्वारा आई0आई0टी0 कानपुर से पालीटेक्निक कानपुर तक (एन0एच0 91) किमी0 414 से 419 तक एन0एच0डी0पी0 IV के अन्तर्गत 4 लेन चौड़ीकरण हेतु 4.6 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 246 वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वनभूमि (4.6 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि) के दुगुने अवनत वन भूमि अर्थात् 9.2 हे0 (4.6x2=9.2 ha.) पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक प्रस्तावित धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए) जमा की जाएगी।

2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5 3/2007 एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जाएगी। सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुपालनार्थ जमा की जाने वाली सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या–एस0बी0–25230 कार्पोरेशन बैंक(भारत सरकार का उपकम), ब्लाक 11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 मे जमा की जाएगी। इसके अतिरिक्त प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की पूर्ण एवं बिन्दुवार अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण एवं जमा किये गये बैंक ड्राफ्ट/चेक/आर0टी0जी0एस0/एन0एफ0टी, जो भी लागू हो, की छायाप्रति सहित) प्रेषित की जाएगी।

3. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय की वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।

4. एन0पी0वी0 की गणना प्रस्तुत की जाएगी।

24/7/15

5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।

6. विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं स्तम्भ पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward)एवं पीछे (backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगी।

उपरोक्त शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाए। याचक विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण की कार्रवाई राज्य सरकार द्वारा तब तक नहीं की जायेगी जब तक वनभूमि हस्तान्तरण के विधिवत् आदेश भारत सरकार द्वारा जारी नहीं किये जाते ।

भवदीय,

24/7/15

ह0/ (बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक(के.)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अतिरिक्त वनमहानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली 110003.
2. निदेशक, आर0ओ0एच0क्यू0, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली–110003.
3. प्रमुख सचिव(वन), वन अनुभाग, 6वां तल,बापु भवन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
4. मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर, उ0 प्र0।
5. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, कानपुर, उ0 प्र0।
6. अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कानपुर, उ0 प्र0।
7. श्री कमल मिश्रा, राजभाषा अनुभाग,पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
8. आदेश पत्रावली ।

24/7/15

ह0/ (बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक(के.)
मुख्यालय
24/7/2014

Government Of India, Ministry Of Environment & Forests
Regional Office (Central Region)

FILE NUMBER 8B/UP/06/17/2015/FC

MINISTRY FILE NUMBER 7-UPB017/2015-LUC

Filing

1.Name of the Proposal	*WIDENING OF 4 LANE UNDER NH-91 KM.414 TO 419 NHDP-IV IIT KANPUR TO POLITECNIC KANPUR*
2.Category	Road
3.State Govt. Letter Number	2162/ONLINE KANPUR-UP-16/2015
4.Date of application	02/06/2015
5.Date of receipt	04/06/2015
6.District	KANPUR
7.State	UP
8.Regional Office Letter Number	8B/UP/06/17/2015/FC
9.Regional Office Letter number(old)	NA
10.Year	2015

Processing

1. LOCATION

a) Village NA

b) Location KANPUR

2. PARTICULAR OF FOREST

a) Name of Forest Div. SF KANPUR

b) Forest Area Involved in ha. 4.6 **c) Map** Yes

d) Legal Status :- **i) RF :** 0 **ii) PF :** 4.6 **iii) Van Panchyat :** 0

iv) Civil Swyam : 0 **v) PF for Management Purpose :** 0 **vi) Others:** 0

3.IN CASE OF ROAD/ CANAL/ RAILWAY LINE/ TRANSMISSION LINE

a) Total Length(in Kms.) 0 **b) Total Width(in Mtrs.)** 0

c) Total Area(in Ha.) 0

4. VEGETATION DENSITY .4

5. NUMBER OF TREES TO BE FELLED 246

6.WHETHER ANY RARE/ENDANGERED/UNIQUE SPECIES OF FLORA & FAUNA FOUND IN THE AREA.

No If so details thereof NA

7.WHETHER THE AREA IS W/L SANCTUARY OR NATIONAL PARK

No If yes consent of IBWL NA

8. WHETHER THE PROPOSED FOREST LAND IS UNAVADIABLE & BAREST MINIMUM.

Yes

9. COMPENSATORY AFFORESTATION

a) Particulars of forest land DFL **b) Map** Yes

c) Comprehensive Scheme Submitted **d) Area in ha.** 9.2

e) Planting Trees 0 **f) Land Suitability Certificate**

10. VIOLATION IF ANY.. No

a) If yes justification of condonation

b) Penal CA

i) Particulars of forest land

ii) Map

iii) Comprehensive Scheme

iv) Area in ha. 0

v) Tree Planting 0

Government Of India, Ministry Of Environment & Forests
Regional Office (Central Region)

FILE NUMBER 8B/UP/06/17/2015/FC MINISTRY FILE NUMBER 7-UPB017/2015-LUC

11. CATCHMENT AREA TREATMENT

a) Map NA **b) Comprehensive Scheme** NA

12. REHABLITATION

a) Particulars of Land NA **b) Map** NA

c) Comprehensive Scheme NA **d) Land Use Plan** NA

13. GEOLOGIST REPORT

Not Required

14. COST BENEFIT ANALYSIS

Not Required

15. RECOMMANDATION OF

a) DFO Yes **b) PCCF/NO** Yes **c) Government** Yes

d) Local Body Yes **e) Others**

16) Site Inspection Report By DFO / CF :

Remarks NO REMARK ENTERED

Recommendation

Recommended for

EDS for following informations

(1) 1 PART IV AND V LEFT UNSINGNED BY THE CONCERN AUTHORITY

2 FRA CERTIFICATED IS NOT WITH ITS COMPLETE ENCLOSOURES

Submitted to CCF for order.

5/6/2015

Reference nsp 1 & 2

The proposal for diversion of forest land under section 2 of FCA-1980 in file no. 8B/UP/06/17/2015 pertains to 4 lane widening of NH 91 from 414 km to 419 km under NHDP IV of Kanpur City Social Forestry Division has been received on 4th June 2015. The user agency in this proposal is National Highway Division, PWD, Kanpur. The diversion pertains to a singular linear patch of RF having area 4.6 ha. The diversion proposal suffers from following shortcomings:

1. Part I, page 5, employment data provided is erroneous and seems to be on lower side. The same needs revision.
2. Part II, page 9, corrections need to be authenticated with signature of the concerned DCF.
3. Seal of DCF is missing on page 42.
4. All the page of enumeration list needs to be signed by the concerned DCF.
5. As per the hard copy submitted Part IV and Part V have not been filled up and signed from respective authorities.
6. Geo referenced digital map of forest land diversion area needs further details with longitude and latitude of key points.

The file is submitted for perusal and necessary directives, please.

5/6/15

Conservator of Forests
RO-MOEF &CC, Lucknow

CCF

3 Mrs Mala — Pls draft the letter & put

[signature] 15/6/15

4 प्रारूप प्रस्तुत है।

मुरवडी [signature]

17/6/2015

5 पुनः संशोधित प्रारूप प्रस्तुत करें।

[signature] 17/6/15

Mrs Mala

6 संशोधित प्रारूप प्रस्तुत है।

मुरवडी [signature]

18/6/2015

7 प्रारूप अनुमोदन के लिए प्रस्तुत है।

~~अ.प्र.मु.व.सं.~~

[signature] 18/6/15

[signature] 24.6.15

CF.

[signature] 24/6/15

Mrs Mala

8 स्वच्छ प्रति हस्ता. हेतु प्रस्तुत है।

मुरवडी [signature]

24/6/2015

9 Dispatch — After dispatch send it to IT incharge for uploading on www.forest-clearance.nic.in.

[signature] 25/6/15

Letter No. (296) issued

[signature] 26/6/15

10 PUC- 2-48/C

पत्रांक - 82/On line-Kanpur-UP-016/2015 दिनांक 8-7-2015 द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त संशोधित प्रस्ताव अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है। सूचनाओं को Flag कर दिया गया है।

का/मा

गुरचरण
14/7/2015

① EDS raised vide letter no. 8B/UP/06/17/2015/FC/296 dt 25/6/15 has been replied with revised proposal placed at 2-48/c.

11 ② All 9 issues raised have been taken care off in the revised proposal.

③ The file is submitted for favour of directions, please.

[signature]
17/7/15

APCCF

12 टि-11- संशोधित स्वीकृति दे दें।

[signature]
20.7.15

CF

Pls put up a draft letter.

13 [signature]
20/7/15

Mrs Mala

14 प्रारूप प्रस्तुत है।

का/मा

गुरचरण
21/7/2015

15 संशोधित प्रारूप प्रस्तुत करें।

-2-

17 टि० 12 के अनुसार सैद्धांतिक स्वीकृति के पत्र का प्रारूप अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

~~अप्रमुवसं~~

23.7.15

23/7/15

Mrs Mala

Pls put-up adequate copies for signature.

23/7/15

स्वच्छ प्रति हस्ता० हेतु प्रस्तुत है

मुख्यमंत्री
24/7/15

प०/ले

24/7/15

Dispatch

पत्र सं० 389
निर्गत किया

24/7/15